Safe Saturday

SDMP (2026-27)

SCHOOL:

UDISE-

मॉडल प्रपत्र

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

के अंतर्गत

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना

विद्यालय का नाम --------------------------------

पंचायत --------------------------------

प्रखंड --------------------------------

जिला --------------------------------

योजना निर्माण की तिथि -------------------------------

योजना की समीक्षा एवं संशोधन करने की अगली तिथि -------------------

विद्यालय के फोकल शिक्षक
का नाम एवं हस्ताक्षर

विद्यालय के प्रधानाध्यापक का
नाम एवं हस्ताक्षर

Affix photo of Safe Saturday Activities

Affix photo of Safe Saturday Activities

Affix photo of Safe Saturday Activities

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें पहचान किए गए जोखिमों एवं खतरों की चर्चा के साथ-साथ उन जोखिमों को कम करने या उस खतरे को समाप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव अंकित होते हैं। इसके अतिरिक्त जोखिमों को कम करने अथवा ख़त्म करने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के साथ ही साथ विभिन्न हितभागियों के लिए उसे क्रियान्वित करने की समय सीमा का निर्धारण भी होता है। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के लिए सबसे आवश्यक कार्य है "हजार्ड हंट" अथवा जोखिमों की पहचान और उसका आकलन। एक अच्छे और उपयोगी विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के लिए हंट या जोखिम का आकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतएव इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ करने की आवश्यकता है।

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने का तरीका -

1. हजार्ड हंट प्रक्रिया के पश्चात चिन्हित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए फोकल शिक्षक एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा विस्तार से चर्चा।
2. जोखिम को बढ़ाने वाले चिन्हित मुद्दों या समस्याओं को आज की स्थिति में अंकित करना।
3. मुद्दों के अनुसार विषय वार चिन्हित जोखिमों को कम करने के लिए समाधान के विकल्पों पर चर्चा कर उसको लिपिबद्ध करना।
4. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में निम्न योजनाएं होनी चाहिए-
   - अल्प अवधि में किए जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य
   - लंबी अवधि में किए जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य
   - बच्चों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना
   - मॉक ड्रिल व नियमित अभ्यास की योजना
5. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित जोखिमों को कम करने हेतु कारगर उपाय, उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारियां तथा समय सीमा को निर्धारित किया जाना।

विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत व अभिभावकों के समक्ष इस योजना के प्रस्तुतीकरण के उपरांत विद्यालय विकास योजना में इसे शामिल कराया जाना।

विषय सूची एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सामान्य निदेश

क्र.सं.	अध्याय विवरण		पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	विद्यालय में उपलब्ध संसाधन संबंधित आंकड़े		
अध्याय – 2	विभिन्न आपदाओं से संबंधित विद्यालय स्तर पर तैयारियों के आकलन हेतु चेकलिस्ट		
अध्याय – 3	विद्यालय में हजार्ड हंट के उपरान्त चिन्हित समस्याएँ एवं मुद्दे तथा उसकी प्राथमिकताएं		
अध्याय – 4	चिन्हित समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय का समेकित कार्य योजना		
अध्याय – 5	प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत किए गए कार्यों की वार्षिक समीक्षा		
निम्न दस्तावेजों को अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें			
अनुलग्नक – 1	विद्यालय का Evacuation Mapping / बचाव मार्ग का चित्रण		
अनुलग्नक – 2	विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची		
अनुलग्नक – 3	विद्यालय के बाल संसद के सदस्यों की सूची		
अनुलग्नक – 4	विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की सूची		
अनुलग्नक – 5	महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर		
अनुलग्नक – 6			
अनुलग्नक – 7			
अनुलग्नक – 8			
अनुलग्नक – 9			
अनुलग्नक – 10			

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के बारे में अध्यायवार लिखें –

अध्याय – 1: विद्यालय में उपलब्ध मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों संबंधित आंकडे –

1. छात्र-छात्राओं का विवरण –

कक्षा	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	कुल संख्या
पहली			
दूसरी			
तीसरी			

2. शिक्षक व अन्य कर्मीगण का विवरण –

महिला शिक्षक संख्या	पुरुष शिक्षक संख्या	अन्य कर्मियों की संख्या	कुल संख्या

3. विद्यालय में भवनों से संबंधित विवरण –

कुल भवन संख्या	कुल कमरों की संख्या	वर्ग संचालन हेतु प्रयुक्त कमरों की संख्या	कार्यालय के लिए प्रयुक्त कमरों की संख्या	भंडार के लिए प्रयुक्त कमरों की संख्या	रसोई के लिए प्रयुक्त कमरों की संख्या	पुस्तकालय के लिए प्रयुक्त कमरों की संख्या	अनुपयोगी या जर्जर कमरों की संख्या

4. पेयजल की व्यवस्था –

कुल चापाकलों की संख्या	कार्यरत चापाकलों की संख्या	प्लेटफार्म व निकास नाली युक्त चापाकलों की संख्या	बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने वाले चापाकलों की संख्या

5. पानी के अन्य स्त्रोत (यदि कोई) –

कृपया यहाँ लिखें –

6. शौचालय की व्यवस्था –

विद्यालय में कुल शौचालयों की संख्या	लड़कियों के लिए अलग शौचालय की संख्या	बाढ़ से सुरक्षित शौचालयों की संख्या	बच्चों के लिए चालू हालत में प्रयुक्त होने वाले शौचालयों की संख्या	लड़कियों के लिए यूरिनल की व्यवस्था	लड़कों के लिए यूरिनल की व्यवस्था

अध्याय – 2: विभिन्न आपदाओं से संबंधित विद्यालय स्तर पर तैयारियों के आकलन हेतु चेकलिस्ट –

क्र.सं.	आपदा से सुरक्षा के मानक	हाँ / नहीं	अभ्युक्ति
1	क्या विद्यालय के सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से बने हैं ?		
2	क्या विद्यालय के भवनों का Retrofitting किया गया है ?		
3	क्या विद्यालय में आलमीरा, रैक, टांगे हुए भारयुक्त फोटो, दिवारघडी आदि को दिवार से हुक लगाकर कस दिया गया है ?		
4	क्या विद्यालय के भीतर एवं बाहर भूकंप, बाढ़ एवं अगलगी की स्थिति में सुरक्षित स्थान एवं निकलने के रास्तों को चिन्हित किया गया है ?		
5	क्या विद्यालय के सभी छात्रों व शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं से संबंधित "क्या करें, क्या ना करें" की जानकारी है?		
6	क्या आपके विद्यालय के छात्र-छात्राएं भूकंप, अगलगी, बाढ़ इत्यादि जैसे आपदाओं से बचाव संबंधी मॉक ड्रिल करते हैं?		
7	क्या रसोईया आग से बचाव की सावधानियों का नियमित अनुपालन करते हैं?		
8	क्या विद्यालय में बिजली की वायरिंग सुरक्षित है? तारों के जोड़ पर टेप लगा है या नहीं? प्लग में स्पार्क या फाल्ट को तुरंत ठीक कराया जाता है या नहीं?		
9	अग्निशामक यंत्र सही जगह पर टंगा है या नहीं? सभी छात्र-छात्राएं इसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षित है या नहीं?		
10	क्या विद्यालय में सभी छात्र-छात्राएं शौचालय का उपयोग करते हैं?		
11	क्या विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोते हैं?		
12	क्या विद्यालय में शौचालय, पेयजल स्रोत के आस-पास एवं परिसर की दैनिक सफाई होती है?		
13	क्या विद्यालय का शौचालय बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है?		
14	क्या विद्यालय का पेयजल स्रोत बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है?		
15	क्या विद्यालय भवन के कमरे बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है?		
16	क्या विद्यालय के भवनों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बनाया गया है?		
17	क्या विद्यालय परिसर को चारदीवारी के साथ-साथ गेट लगाकर सुरक्षित किया गया है?		
18	क्या विद्यालय में आपदा से बचाव किट जैसे रस्सी, टॉर्च, डंडा, सीढ़ी आदि उपलब्ध हैं?		
19	क्या विद्यालय के बच्चे सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक हैं?		
20	क्या विद्यालय में प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध है? बच्चों को इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी दिया गया है?		

क्र.सं.	आपदा से सुरक्षा के मानक	हाँ / नहीं	अभ्युक्ति
21	क्या विद्यालय में आपातकालीन दूरभाष नंबरों जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, एम्बुलेंस आदि को कहीं प्रदर्शित (display) किया गया है?		
22	क्या बच्चों को ये नंबर याद हैं?		
23	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में वर्ग कक्ष पर्याप्त संख्या में हैं?		
24	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में पेयजल स्रोत पर्याप्त संख्या में हैं?		
25	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में शौचालय पर्याप्त संख्या में हैं?		
26	क्या पूर्व में कोई दुर्घटना घटित हुई है? (यदि हाँ तो कृपया विवरण दें)		

अध्याय – 3: विद्यालय में हजार्ड हंट के उपरान्त चिन्हित समस्याएँ एवं मुद्दे तथा उसकी प्राथमिकताएं –

सेक्टर	स्थान / जोखिम युक्त अंश का नाम	जोखिमों की संभावना / तीव्रता		
		उच्च	मध्यम	कम
पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधी जोखिम				
स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी जोखिम				
जीवन रक्षा कौशल के अभाव संबंधी जोखिम				
भवन की संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक एवं उसके मजबूती संबंधी जोखिम				
विद्यालय परिसर संबंधी जोखिम				
घर से विद्यालय आने के मार्ग में पड़ने वाले जोखिम				
मध्यान्ह भोजन एवं किचेन शेड से संबंधित जोखिम				
अन्यान्य				

अध्याय – 4: चिन्हित समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय का समेकित कार्य योजना –

क्र.सं.	चिन्हित मुद्दा / समस्या	वर्तमान में चिन्हित समस्याओं की स्थिति	समाधान के विकल्प	योजना के क्रियान्वयन हेतु गतिविधियाँ	जिम्मेवारी	समयावधि

अध्याय – 5: प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत किए गए कार्यों की वार्षिक समीक्षा

योजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त तालिका के अनुसार क्रमवार गतिविधियाँ	प्रगति का विवरण				कार्य अधुरा रहने का कारण	अभियुक्ति
	कार्य प्रारंभ होने की स्थिति	लागत / खर्च	योजना / मद का नाम	सहयोगी विभाग या संस्था		

अनुलग्नक – 1 विद्यालय का Evacuation Mapping / बचाव मार्ग का चित्रण

अनुलग्नक – 2 विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची

क्रम	पद	नाम	मोबाइल न0	वर्ग/रौल
1.	विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष			
2.	फोकल शिक्षक			
3.	प्रधानमंत्री			
4.	शिक्षा मंत्री			
5.	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री			
6.	जल एवं कृषि मंत्री			
7.	पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री			
8.	सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री			
9.	बाल सुरक्षा मंत्री			
10.	उप–बाल सुरक्षा मंत्री			
11.	बाल प्रेरक			
12.	बाल प्रेरक			
13.	बाल प्रेरक			

अनुलग्नक – 3 विद्यालय के बाल संसद के सदस्यों की सूची

बाल संसद (2026-2027)

क्रम	पद	विद्यार्थी का नाम	वर्ग	रौल
1.	प्रधानमंत्री			
2.	उप–प्रधानमंत्री			
3.	शिक्षा मंत्री			
4.	उप–शिक्षा मंत्री			
5.	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री			
6.	उप–स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री			
7.	जल एवं कृषि मंत्री			
8.	उप–जल एवं कृषि मंत्री			
9.	पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री			
10.	उप–पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री			
11.	सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री			
12.	उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री			
13.	बाल सुरक्षा मंत्री			
14.	उप–बाल एवं सुरक्षा मंत्री			

अनुलग्नक – 4: विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का नाम	समिति सदस्यों का पता	समिति में पदनाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

अनुलग्नक – 5: महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर

क्र.सं.	महत्वपूर्ण व्यक्तियों / विभागों / संस्था का नाम	दूरभाष नंबर / मोबाइल नंबर

राज्य के बच्चों को आपदा प्रबंधन की जानकारी क्यों?

- As per the National Policy for Children 2013 & UN Convention on the Rights of Child ***"A child is any person below the age of 18 years".***
- India is home to the largest child population in the world.
- Bihar has highest proportion of Child population in India.

% Share of Children Population to the Total Population

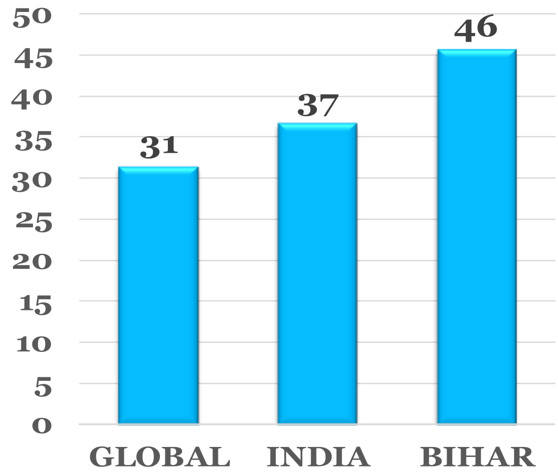

Multi-hazard Profile of Bihar State

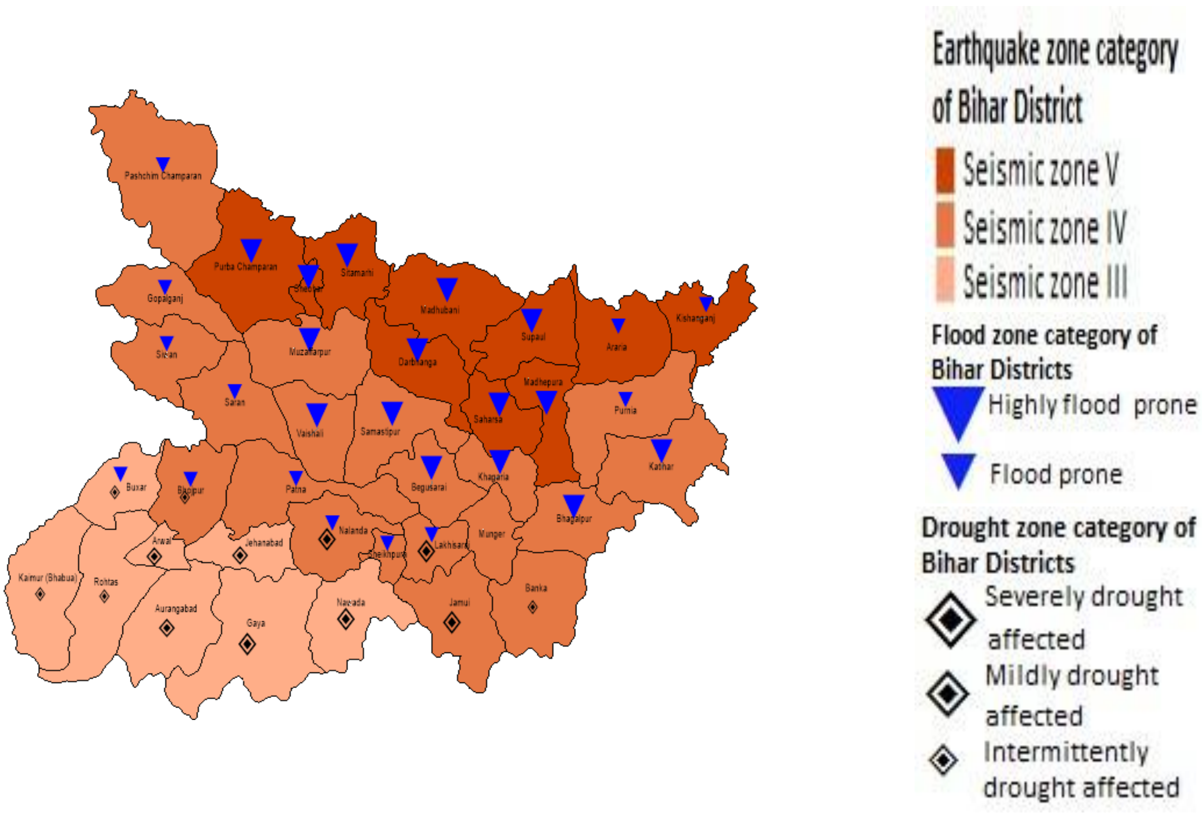

क्या बिहार आपदाओं का सुपर मॉल है?

आपदा प्रबंधन एवं विद्यालय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज –

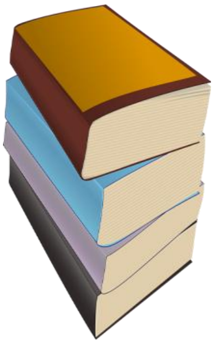

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
- बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015 – 2030)
- राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति मार्गदर्शिका – फरवरी 2016
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय (14–08–2017)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 –

- आपदा प्रबंधन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करने एवं आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी एवं प्रतिक्रिया की प्रक्रिया है।
- आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है अपितु यह योजना बनाकर जोखिम को कम करने में पूरी सहायता करता है।
- आपदा प्रबंधन के तीन भाग हैं पहला पूर्व तैयारी, आपदा घटित होने के दौरान कार्यवाही तथा आपदा घटित होने के बाद की तैयारी और कार्यवाही।
- ऐसे में आपदा प्रबंधन से तात्पर्य आपदा को आने से पहले उसे रोकने का प्रयास, उसके प्रभाव को कम करने, लोगों को जागरुक करने, तथा आपदा के आने के पश्चात किए गए बचाव और सुरक्षा के तौर–तरीकों से है।

आपदा प्रबंधन से संबंधित शब्दावली

- तत्काल राहत / बचाव **(Response/Rescue/ Emergency Relief)**
  तत्काल राहत /बचाव का कार्य आपदा आने के तुरंत बाद का समय होता है। आपदा से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी शरणस्थली, पेयजल, भोजन एवं स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा करने की कार्रवाई की जाती है।
- पुनर्वास **(Rehabilitation)**
  आपदा पीड़ितों को सामान्य हालत में लौटने में मदद करने वाली कार्रवाई जैसे आवास, अनुदान, इलाज की सुविधा, मकानों की मरम्मति आदि मुहैया कराया जाना शामिल होता है।
- न्यूनीकरण **(Mitigation)**
  आपदा से होने वाले जोखिमों के प्रबंधन संकट को टालने तथा इसके कुप्रभावों से बचने के लिए तैयारी का उन्नत उपाय किया जाता है।
- पूर्व तैयारी **(Preparedness)**
  पूर्व तैयारी का मतलब आपदाओं का प्रभावी जवाब सुनिश्चित करने के लिए पहले से की गई कार्रवाई एवं उपाय है। इसमें समय पर पूर्व चेतावनी तथा अस्थायी रूप से लोगों को सुरक्षित रखने के साथ–साथ उनकी संपत्ति को भी बचाने का इंतजाम करना होता है। पूर्व तैयारी के क्रम में मॉक ड्रिल जैसी गतिविधियां भी शामिल होती हैं।

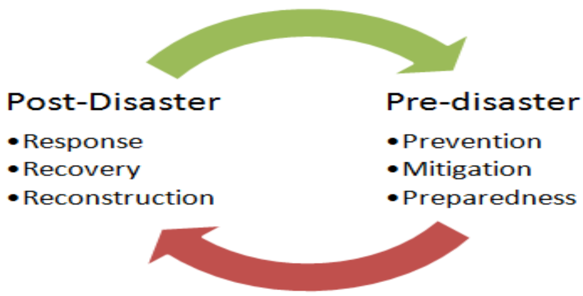

- आपदा
  आपदा प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से घटित घटना है, जो समाज के सामान्य जीवन को अचानक बाधित कर देती है तथा उससे जानमाल की क्षति होती है।
- जोखिम
  जोखिम प्राकृतिक या मानव जनित खतरों एवं नाजुक स्थितियों के मिलने से संभावित हानिकारक परिणाम या संभावित क्षति (मौत, चोट, संपत्ति, आजीविका को नुकसान, आर्थिक कार्यकलापों में व्यवधान या पर्यावरण से क्षति) की संभावना को कहते हैं।
- खतरा
  खतरा को नुकसान पहुंचाने वाली भौतिक घटना, परिघटना या मानवीय गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो मौत या आघात, संपत्ति के नुकसान, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण के नुकसान का कारण बन सकती है। खतरा सिर्फ उसी हालत में आपदा बनता है जब समुदाय की क्षमता इतनी कमजोर और नाजुक हो जाती है कि वह खतरों की प्रबलता का मुकाबला नहीं कर पाती। एक ही तरह का या समान प्रबलता का खतरा समुदाय पर उसकी नाजुकता, स्थिति के हिसाब से अलग–अलग तरह का प्रभाव डालता है।
- क्षमता
  जोखिम के स्तर या आपदा के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकने लायक समुदाय, समाज या संगठन के पास उपलब्ध सभी शक्तियों, क्षमता एवं संसाधनों के योग को क्षमता कहते हैं।
- नाजुकता या संवेदनशीलता
  नाजुकता शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारणों से उत्पन्न स्थिति का सम्मिलित रूप है जो खतरों के प्रभाव के प्रति समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाता है।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015 – 2030

- सेंडई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार ने भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 15 वर्षों का एक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है।
- इस रोड मैप के अंतर्गत बिहार आपदा प्रभावित जिलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है – "ए", "बी" और "सी"।
- "ए" श्रेणी के जिले सर्वाधिक आपदा प्रवण जिले हैं और यह भूकंप के जोन V में आते हैं तथा अत्यधिक बाढ प्रवण जिले हैं। श्रेणी "बी" के जिले मध्यम श्रेणी के आपदा प्रवण जिले हैं और श्रेणी "सी" के जिले सुखाड प्रवण जिले हैं।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 के क्रियान्वयन के पांच प्रमुख स्तंभ है –

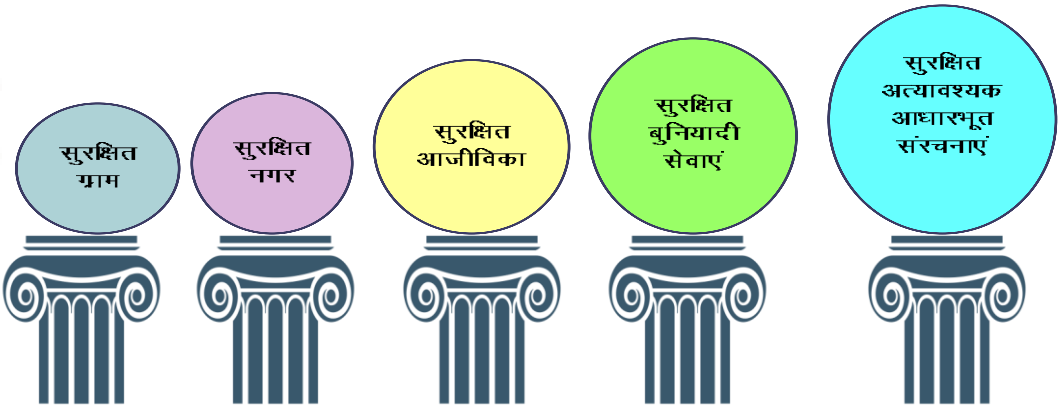

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति मार्गदर्शिका – NDMA

- **इस मार्गदर्शिका की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं –**

1. बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित करने हेतु प्रभावी, समावेशी और समग्र उपाय किए जाएं।

2. बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों खासकर राज्य स्तर से प्रखंड स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों को विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा पूर्व तैयारियों के प्रति जागरूकता, क्षमता कौशल एवं व्यवहारिक ज्ञान को बढाया जाए।

3. बच्चों को केंद्रित कर विद्यालय – स्थानीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन।

4. आपदाओं के जोखिमों को कम करने के विभिन्न उपायों को पाठ्य–पुस्तकों एवं पाठ्यचर्या में समावेशित कर मुख्यधारा से जोडा जाए।

5. विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न आयामों को सरकारी कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रकार के बाल–सुरक्षा नीतियों से संबद्ध किया जाए।

6. आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों में वर्णित बाल–अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं को सुदृढ करने के साथ–साथ आपस में समन्वय स्थापित कर विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय (14–08–2017)

विद्यालय सुरक्षा से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 483 / 2004 अविनाश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा हेतु निम्न कार्रवाईयां सुनिश्चित करने का न्याय निर्णय दिया गया है –

- देश के सभी बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा दिया जाए।
- बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं और सावधानियों के लिए मैनुअल विकसित कर उसे अक्षरशः क्रियान्वित किया जाए।
- विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से विद्यालयों की सुरक्षा हेतु उत्तरोत्तर कार्रवाई के लिए प्रबंधन योजना बनाई जाए जिसमें बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय समुदाय के सदस्यों एवं अन्य हितभागियों की जिम्मेदारियां तय करने के साथ–साथ क्षमतावर्द्धन, प्रशिक्षण इत्यादि उल्लेखित हो।
- विद्यालयों के भवन निर्माण में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता में प्रावधानित सुरक्षा मानदंडों का पालन हो।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की रुपरेखा –

लक्ष्य :
बच्चे "घर से विद्यालय तक एवं विद्यालय से घर तक" सुरक्षित रहें।

उद्देश्य

- जोखिमों की पहचान एवं कुप्रभाव को कम करने का उपाय
- शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना।
- विद्यालय परिसर में आपदा जोखिमों (संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक) में सुरक्षित करना
- बच्चों के माध्यम से आपदाओं से सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना
- कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में जोखिम न्यूनीकरण यानि आपदा पूर्व तैयारी एवं प्रभाव को कम करने की जानकारी देना ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के घटक –

सुरक्षित शनिवार के माध्यम से विद्यालय समुदाय का क्षमतावर्द्धन

3. सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य –

- फोकल शिक्षक विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।
- विद्यालय में बच्चों के संगठन जैसे यूथ क्लब, इको क्लब, किशोरी मंच आदि की सक्रिय भागीदारी से विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाया जाएगा।
- विद्यालय में बच्चों को जोखिमों को पहचानने (हजार्ड हंट) का कौशल विकसित कराया जाएगा।
- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के संबंध में चर्चा एवं चिन्हित खतरे तथा जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपाय करेंगे।
- विद्यालय के प्रत्यक वर्ग से बाल प्रेरक का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करेंगे।
- बाल प्रेरकों द्वारा सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार फोकल शिक्षक की सहायता से निर्धारित गतिविधियां प्रत्यक शनिवार को क्रियान्वित की जाएंगी।
- बच्चों को दिए गए ज्ञान एवं कौशल का निरंतर अभ्यास कराया जाएगा।